

रूप-पत्र 29

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम (15) देखिये)

रजिस्टर जो नियम 12-ख (1) में अभिदिष्ट प्रत्येक श्रेणी के रूप-पत्र के सम्बन्ध में ऐसे व्यापारी द्वारा अलग-अलग रख जायेगा जो व्यापार कर अधिकारी से नियम 12-ख (4) के अधीन उन्हें प्राप्त करें।

प्राप्त रूप-पत्र का प्रकार 3-ग ()

प्राप्त किये गये रूप-पत्रों का विवरण				जारी किये गये रूप-पत्रों का विवरण		
दिनांक	प्राप्त रूप-पत्रों की कुल संख्या	क्रम-संख्या	दिनांक	व्यापारी का नाम व पूरा पता जिसे जारी किया गया	जारी किये गये रूप-पत्रों की क्रम संख्या	बिल, कैशमैमो क्रय या विक्रय के लेखे की संख्या और दिनांक
1	2	3(क) 3(ख)	4	5	6	7

रूप-पत्र में निम्नलिखित वस्तुओं के लिये उल्लिखित धनराशि

तौल	खाद्यान	तिलहन	गुड़	राब	जूट	देशी घी	खांडसारी शक्कर	अभ्युक्ति
8	9(क)	9(ख)	9(ग)	9(घ)	9(ङ)	9(च)	9(छ)	10

टिप्पणी - धारा 3घ के अधीन विज्ञापित किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, जिसके लिए व्यापारी द्वारा घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाय, स्तम्भ 9 में अलग-अलग उप-स्तम्भ बनाये जा सकते हैं।